न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, धोद जिला – सीकर

मोतीराम .... बनाम .... तहसीलदार, सीकर ग्रामीण

किस्म मुकदमा .... धारा 136 [illegible] .... मु.नं. 209 .... वर्ष 2025

दिनांक	आज्ञा - पत्र
13/10/25	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। तहसीलदार, सीकर ग्रामीण के पत्रांकः भू.अ./25/2742 दिनांक 08.08.2025 के द्वारा प्राप्त रिपोर्ट का अवलोकन वकील प्रार्थी ने कर मुताबिक रिपोर्ट के प्रार्थी का हस्तगत आवेदन स्वीकार कर दुरूस्ती करने का निवेदन किया। हस्तगत आवेदन का अवलोकन किया गया, जिसके अनुसार वकील प्रार्थी ने संक्षिप्ततः निवेदन किया है कि "ग्राम शास्त्री नगर पटवार हल्का झीगर छोटी तहसील सीकर ग्रामीण जिला सीकर में अवस्थित आराजियात कृषि भूमियां खसरा सं. 366 रकबा 0.5100 हेक्टेयर, खसरा सं. 367 रकबा 0.1000 हेक्टेयर, खसरा 368 रकबा 0.1400 हेक्टेयर, खसरा सं. 369 रकबा 0.1500 हेक्टेयर, खसरा सं.370 रकबा 0.0400 हेक्टेयर, खसरा सं. 371 रकबा 0.1000 हेक्टेयर, खसरा सं. 372 रकबा 0.1100 हेक्टेयर, खसरा सं. 373 रकबा 1.8900 हेक्टेयर, खसरा सं. 374 रकबा 0.2700 हेक्टेयर, खसरा सं. 375 रकबा 0.5100 हेक्टेयर, खसरा सं. 376 रकबा 0.2200 हेक्टेयर, खसरा 377 रकबा 0.3300 हेक्टेयर, खसरा सं. 378 रकबा 0.4500 हेक्टेयर, खसरा सं. 379 रकबा 0.2100 हेक्टेयर, खसरा सं. 380 रकबा 0.1700 हेक्टेयर, खसरा सं. 381 रकबा 0.2100 हेक्टेयर कुल किता 16 कुल रकबा 5.4100 हेक्टेयर है, जो प्रार्थी के माता व पिता के नाम खातेदारी चली आ रही है एवं प्रार्थी की माता खुशी देवी एवं पिता बलदेवाराम की मृत्यु हो चुकी है। उक्त वर्णित आराजियात कृषि भूमियों में विरासत का नामान्तरण तस्दीक किये जाने पर प्रार्थी के पिता बलदेवा पुत्र हेमा गलत रूप से अंकन हो गया जबकि नाम राजस्व कर्मचारियों द्वारा संहवन से बलदेवा पुत्र भानाराम के स्थान पर बलदेवा पुत्र हेमा अंकित कर दिया गया जबकि प्रार्थी के पिता का वास्तविक व सही नाम बलदेवाराम पुत्र भानाराम है एवं राजस्व कर्मचारियों के द्वारा सहवन से गलत रूप सेप्रार्थी की माता का नाम फूसी देवी के स्थान पर फूली अंकित कर दिया गया। जबकि प्रार्थी की माता का सही व उचित नाम फूसी देवी पत्नी बलदेवाराम है। प्रार्थी के पिता व माता का नाम राजस्व रिकार्ड में गलत रूप से बलदेवा पुत्र हेमा तथा माता का नाम फूली पत्नी बलदेवा अंकन हो गया तथा प्रार्थी के पिता व माता का अन्य सभी दस्तावेज में वास्तविक व सही नाम बलदेवाराम पुत्र भानाराम एवं फूसी देवी पत्नी बलदेवाराम है इसलिए प्रार्थी/वादी के माता पिता का नाम बलदेवा पुत्र हेमा के स्थान पर बलदेवाराम पुत्र भानाराम तथा माता का नाम फूसी देवी पत्नी बलदेवाराम के रूप में दुरूस्त किया जावें"
	प्रकरण में प्रार्थी के अनुतोष के संबंध में तहसीलदार से प्राप्त उक्त रिपोर्ट मय संलग्न दस्तावेजात आदि का अवलोकन किया। उक्त रिपोर्ट मुताबिक प्रार्थी के अनुतोष के अनुसार सही है।
	अतः वकील प्रार्थी का आवेदन तहसीलदार सीकर ग्रामीण के पत्रांकः भू.अ./25/2742 दिनांक 08.08[illegible] प्राप्त रिपोर्ट व प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात आदि के [illegible] पर स्वीकार किया जाकर ग्राम ग्राम शास्त्री नगर पटवा[illegible] झीगर छोटी तहसील सीकर ग्रामीण [illegible] आराजियात कृषि भूमियां खसरा सं. 36[illegible] खसरा सं. 367 रकबा 0.1000 हेक्टेयर, खसरा 368 रकबा 0.1400 हेक्टेयर, खसरा सं. 369 रकबा 0.1500 हेक्टेयर, खसरा सं.370 रकबा 0.0400

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, धोद जिला-सीकर (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2025.10.17 11:57:04 IST
Reason: Self Attested

उपखण्ड अधिकारी
धोद जिला-सीकर

Scanned with OKEN Scanner

क्रमांक / रीडर / 2025 /

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, धोद जिला – सीकर

मोतीराम .... बनाम .... तहसीलदार, सीकर ग्रामीण

किस्म मुकदमा .... अ.प.भू.रा. धा. 136 राज.अधि. .... मु.नं. 209 .... वर्ष 2025

दिनांक	आज्ञा – पत्र	
	हेक्टेयर, खसरा सं. 371 रकबा 0.1000 हेक्टेयर, खसरा सं. 372 रकबा 0.1100 हेक्टेयर, खसरा सं. 373 रकबा 1.8900 हेक्टेयर, खसरा सं. 374 रकबा 0.2700 हेक्टेयर, खसरा सं. 375 रकबा 0.5100 हेक्टेयर, खसरा सं. 376 रकबा 0.2200 हेक्टेयर, खसरा 377 रकबा 0.3300 हेक्टेयर, खसरा सं. 378 रकबा 0.4500 हेक्टेयर, खसरा सं. 379 रकबा 0.2100 हेक्टेयर, खसरा सं. 380 रकबा 0.1700 हेक्टेयर, खसरा सं. 381 रकबा 0.2100 हेक्टेयर कुल किता 16 कुल रकबा 5.4100 हेक्टेयर के वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में दर्ज प्रार्थी के पिता के नाम की प्रविष्टि बलदेवा पुत्र हेमा के स्थान पर बलदेवाराम पुत्र भानाराम दुरूस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है तथा प्रार्थी की माता के नाम की प्रविष्टि फुली पत्नी बलदेवा के स्थान पर पर फूसी देवी पत्नी बलदेवाराम के रूप में दुरूस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। पूर्व की प्रविष्टि से किसी तरह की सरकारी, गैर सरकारी बकाया एवं उत्तरदायित्व हो तो उसके निर्वहन एवं अदायगी के लिए संबंधित खातेदार/प्रार्थीपक्ष स्वयं जिम्मेदार होंगे। तहसीलदार, सीकर ग्रामीण की दुरूस्ती संबंधी रिपोर्ट आदेश का अभिन्न अंग रहेगी। पालनार्थ तहसीलदार, सीकर ग्रामीण को लिखा जावें। आदेश सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हों। उपखण्ड अधिकारी, धोद जिला सीकर उपखण्ड अधिकारी धोद जिला सीकर	

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2025.10.17 11:57:04 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner